एप्पेलेट सिविल

समक्ष मुनि लाल वर्मा, न्यायमूर्ति।

जगदीश प्रसाद,-अपीलार्थी।

बनाम

श्री कन्हैयालाल, वगैरह-उत्तरदाता।

1974 की पहली अपील संख्या 650 का निष्पादन।

31 जुलाई, 1975

सिविल प्रक्रिया संहिता (5 of 1908)- धारा 60 (1) (सी सी सी)-निर्णय से पहले संलग्न निर्णय-देनदार का आवासीय घर-निष्पादन आवेदन दाखिल करने के समय घर के कब्जे में निर्णय-देनदार-ऐसा घर-क्या डिक्री के निष्पादन में बेचा जा सकता है।

अभिनिर्धारित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60, उस समय प्रवृत्त होती है जब कोई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाती है और कोड की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा एक आवासीय घर के लिए दिया गया संरक्षण डिक्री के निष्पादन में संलग्न होते ही उपलब्ध हो जाता है। निर्णय से पहले एक संलग्नक, निस्संदेह, डिक्री के पारित होने के बाद भी जारी रहता है, लेकिन इस तरह के संलग्नक को इस स्पष्ट कारण से डिक्री के निष्पादन में संलग्नक नहीं कहा जा सकता है कि जब यह प्रभावी होता है, तो कोई डिक्री नहीं होती है। इसलिए, वह तारीख जब निर्णय से पहले सदन संलग्न किया जाता है, धारा 60 की प्रयोज्यता के प्रश्न का निर्णय लेने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रासंगिक है। निर्णय-देनदार के घर के कब्जे पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि निष्पादन आवेदन दाखिल करने की तारीख है और यदि वह ऐसी तारीख को कब्जे में है तो वह संहिता की धारा 60 की उप-धारा (1) के खंड (सीसीसी) द्वारा प्रदत्त संरक्षण का पूरी तरह से हकदार है और डिक्री के निष्पादन में उसके घर को बेचा नहीं जा सकता है।(पैरा 3).

निष्पादन श्री राम नाथ बत्रा, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी की अदालत के डिक्री, दिनांक 27 जुलाई, 1974 की पहली अपील, जिसमें दिनांक 30 अप्रैल, 1972 की आपत्ति याचिका को स्वीकार किया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 (1) (सीसीसी) के तहत 6 अप्रैल, 1972 की निर्णय देनदार की आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया गया था और यह आदेश दिया गया है कि जिस घर को पहले ही कुर्क किया जा चुका है, उसे नीलामी में बेचा जाए।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता जी. सी. गर्ग।

प्रत्यर्थियों की ओर से एच एल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता (उनके साथ अधिवक्ता श्री एम एल सरीन,)।

फैसला

वर्मा, न्यायमूर्ति:-

(1) यह अपील निर्णय-देनदार द्वारा की गई है और निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, संक्षेप में निम्नलिखित परिस्थितियों में कहा गया हैः-

(2) कन्हैयालाल ने 4 नवंबर, 1970 को 13,475 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। विचाराधीन सदन को 5 नवंबर, 1970 को फैसले से पहले संलग्न किया गया था और उक्त कुर्की की पुष्टि 17 नवंबर, 1970 को की गई थी। 10 अगस्त, 1971 को मुकदमे से समझौता किया गया और एक डिक्री दर्ज की गई। डिक्री में किश्तों के माध्यम से लागत सहित 14,688.50 पैसे का भुगतान प्रदान किया गया था और इसमें एक निर्देश था कि डिक्री की संतुष्टि तक घर कुर्की के तहत रहेगा।

अपीलार्थी द्वारा डिक्रीटल राशि की किश्तों का भुगतान करने में विफल रहने पर, जैसा कि सहमति हुई थी, कन्हैयालाल ने 16 फरवरी, 1972 को डिक्री का निष्पादन दायर किया और घर की बिक्री की मांग की। अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उप-धारा (1) के खंड (सी. सी. सी.) के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि उसके पास घर का कब्जा था और यह उसके पास एकमात्र आवासीय घर था। उन्होंने एक और आपत्ति आवेदन भी दायर किया था जो इस मामले के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति का कन्हैयालाल द्वारा विरोध किया गया और निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया गयाः

(1) क्या आपत्ति याचिका वर्तमान प्रपत्र में विचारणीय नहीं है? ओ. पी. डी. एच.

(2) क्या निर्णय-देनदार किश्तों के अनुदान का हकदार है? ओ पी जे डी।

(3) क्या डिक्री को निर्णय-देनदार की गिरफ्तारी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? ओ. पी. डी. एच.

(4) क्या संपत्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओ पी जे डी।

(5) राहत।

निष्पादन न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्गम संख्या 1 और 3 का निर्णय लिया (judgment-debtor). हालाँकि, मुद्दा संख्या 2 और 4 उनके खिलाफ पाए गए और इसलिए, घर की बिक्री के संबंध में उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। उक्त परिणाम से असंतुष्ट, अपीलार्थी अपील में इस न्यायालय में आया है।

(3) अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ज्ञान चंद गर्ग ने मुद्दा संख्या 4 पर दर्ज निष्पादन न्यायालय के निष्कर्ष की आलोचना की है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी 16 फरवरी, 1972 को सदन के कब्जे में था जब प्रत्यर्थी ने डिक्री का निष्पादन किया था और इस प्रकार, इसे राशि की वसूली के लिए नहीं बेचा जा सकता है और

निष्पादन न्यायालय ने इस आधार पर उसके खिलाफ मुद्दा संख्या 4 का निर्णय लेने में त्रुटि की थी कि 5 नवंबर, 1970 को सदन के कब्जे में नहीं था। मैं इन विवादों में योग्यता देखता हूं। निष्पादन न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन में घर की बिक्री से छूट का दावा करने वाली अपीलार्थी की आपत्तियों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि (क) 5 नवंबर, 1970 को जब यह निर्णय से पहले कुर्क किया गया था, उस घर पर उसका कब्जा नहीं था, (ख) कि अपीलार्थी ने अपनी बहन के पुत्र के पक्ष में जनवरी, 1971 के महीने में गांव हमीरपुर की सीमा के भीतर स्थित कुछ संपत्ति बेची थी और उक्त बिक्री बेनामी थी, और (ग) डिक्री राशि के भुगतान के लिए उस घर पर विशिष्ट प्रभार बनाया गया था। मेरी राय में, निष्पादन न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण सही नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 तब लागू होती है जब किसी संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में संलग्न किया जाता है और कोड की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सीसीसी) द्वारा दिया गया संरक्षण, एक आवासीय घर के लिए उपलब्ध होता है जैसे ही वह डिक्री के निष्पादन में संलग्न होता है। निर्णय से पहले एक संलग्नक, निस्संदेह, डिक्री के पारित होने के बाद भी जारी रहता है, लेकिन इस तरह के संलग्नक को डिक्री के निष्पादन में इस स्पष्ट कारण से संलग्नक नहीं कहा जा सकता है कि जब यह प्रभावी होता है, तो कोई डिक्री नहीं होती है। इसलिए, तारीख, 5 नवंबर, 1970 या 17 नवंबर, 1970, जब निर्णय से पहले सदन संलग्न किया गया था, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को तय करने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रासंगिक है। घर पर उनके कब्जे पर विचार करने की प्रासंगिक तिथि 16 फरवरी, 1972 है जब फांसी का आवेदन दायर किया गया था। अपीलार्थी और बाबू लाल, जे. डी. डब्ल्यू. 4 के बयानों से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और रिपोर्ट की प्रति 03/1 प्रदर्शित की गई है कि गोपी चंद, जो अपीलार्थी के अधीन किरायेदार के रूप में मकान पर कब्जा कर रहा था, को 11 फरवरी, 1971 को बेदखल कर दिया गया था और उसके कब्जे को तब अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थी घर के कब्जे में था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी के पास अपने निवास के लिए कोई अन्य घर है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी 16 फरवरी, 1972 को सदन के कब्जे में था और इसलिए वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सी. सी. सी.) द्वारा उसे दिए गए संरक्षण का पूरी तरह से हकदार है।

(4) यह परिस्थिति कि अपीलार्थी ने जनवरी, 1971 के महीने में अपनी बहन के पुत्र को कुछ संपत्ति बेची थी और उसे निष्पादन न्यायालय द्वारा बेनामी लेन-देन के रूप में माना गया था, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सीसीसी) के तहत अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए संरक्षण का निर्णय करने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

(5) मैंने 10 अगस्त, 1971 को अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथन (प्रतिलिपि प्रदर्शन डी एच 1) और उसके आधार पर अभिलिखित डिक्री को भी देखा है। न तो उक्त कथन में और न ही डिक्री में, यह प्रावधान किया गया है कि घर से विशेष रूप से डिक्रीटल राशि के लिए शुल्क लिया जाएगा। केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने उस कथन में कहा था, और डिक्री में यह भी पढ़ा गया है कि घर डिक्रीटल राशि के भुगतान तक कुर्की के अधीन रहेगा, घर पर डिक्रीटल राशि के भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं बनाता है, इससे बहुत कम कि यह विशेष रूप से उसी के भुगतान के लिए लिया गया था। अतः संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सी. सी. सी.) का परन्तुक लागू नहीं होता है और निष्पादन न्यायालय ने उपर्युक्त कथन का इस प्रकार से अर्थ निकालने में त्रुटि की थी कि अपीलार्थी को उपलब्ध उपर्युक्त खंड के संरक्षण से इनकार किया जा सके।

(6) इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्दा संख्या 4 पर निष्पादन न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष गलत है, और इसे ख़ाली कर दिया गया है। उक्त मुद्दे का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है। इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, इस अपील को सफल होना चाहिए।

(7) नतीजतन, मैं इस अपील को स्वीकार करता हूं, अब तक के विवादित आदेश को दरकिनार करता हूं, इसने अपीलार्थी की आपत्तियों को खारिज कर दिया कि डिक्री के निष्पादन में घर बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं था। मैं उक्त आपत्तियों को स्वीकार करता हूं और स्पष्टता के लिए जोड़ता हूं कि डिक्री के निष्पादन में घर बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(8) पक्षों को उनके वकील के माध्यम से 30 अगस्त, 1975 को निष्पादन न्यायालय (अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी) के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

के एस बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा